

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 4(340) अकाद / शैक्ष / 11-12 / 2007

दिनांक 11 जुलाई, 2012

समस्त प्राचार्य


राजकीय महाविद्यालय / विधि महाविद्यालय

राजस्थान ।

विषय :- सत्र 2012-13 का शैक्षणिक कार्यभार भिजवाने बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान सत्र 2012-13 का प्रत्येक वर्ष की भाँति, शैक्षणिक कार्यभार औचित्य आधार पर विषयवार निर्धारित प्रपत्रों में दिनांक-30.08.12 तक आवश्यक रूप से निदेशालय में प्रवेश नीति के अनुसार भिजवायें।

प्रायः यह देखा गया है कि शैक्षणिक कार्यभार भेजते समय कार्यभार को बढ़ाचढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है। अतः शैक्षणिक कार्यभार संलग्न निर्देशानुसार वास्तविक ही भेजें। उक्त शैक्षणिक कार्यभार की जाँच करते समय गलत या अपूर्ण पाये जाने पर प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप द्वारा भेजे गये शैक्षणिक कार्यभार में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं होगा।



(सुबीर कुमार)

निदेशक

क्रमांक एफ 4(340) अकाद / शैक्ष / 2011-12 /

दिनांक

जुलाई, 2012

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1 निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान जयपुर

2 निजी सचिव निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

3 संयुक्त निदेशक प्रशासन / पी एन्ड सी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

4 श्री धीरेन्द्र देवी (व्यक्त) को बिल साइट प्रगती को ब्रोक कर लेना है कि उक्त बिल साइट पर ऑडिट करने का शम करें।

ए. निमाजी

संयुक्त निदेशक

सत्र 2012-13 के शैक्षणिक कार्य भार (वर्क लोड) भेजने हेतु आवश्यक निर्देश

आपको अपने महाविद्यालय का सत्र 2012-13 का शैक्षणिक कार्यभार निम्नलिखित प्रपत्रों एवं सूचनाओं की एक-एक प्रति में दिनांक 30.8.2012 तक अनिवार्य रूप से भेजना है:-

1. शैक्षणिक कार्यभार सारांश (वर्क लोड समरी) प्रपत्र "अ"
2. विषयवार कार्यभार प्रपत्र "ब"
3. कक्षावार (वलास वार्डज) समय सारणी।
4. कक्षावार (रूमवार्डज) समय सारणी।
5. विवरणिका
6. आपके महाविद्यालय में पढ़ायें जाने वाले सभी विषयों का कार्यभार भिन्न-भिन्न जानना आवश्यक है। चाहे किसी विषय में अतिरिक्त अध्यापक की आवश्यकता हो अथवा नहीं।
7. कार्यभार के सभी स्तम्भ पूर्ण रूप से सही व स्वच्छ भरे जाने चाहियें। अपूर्ण या आंशिक सूचना पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।
8. कार्यभार आंशिक रूप से न भेजकर सभी संकायों एवं विषयों का भेजा जावे।
9. प्रत्येक कक्षा में छात्रों की सही एवं वास्तविक संख्या का उल्लेख किया जावे तथा कार्यभार वास्तव में पढ़ायें जा रहे प्रश्न पत्रों का हो। संभावित या प्रस्तावित प्रश्नपत्रों की गणना नहीं की जावे।
10. जिन व्याख्याताओं को वरिष्ठ वेतनमान एवं चयनित वेतनमान दिया गया है, उनका कार्यभार व्याख्याता के मानदण्ड के अनुसार माना जावे।
11. ट्यूटोरियल कक्षाएँ एवं लघु शोध को कार्यभार में सम्मिलित नहीं किया जावे। केवल कक्षाओं में पढ़ायें जाने वाले कालांशों को ही गिना जावे।
12. जिन विषयों में आनर्स कक्षाएँ हैं, उन छात्रों के लिए सहायक विषय की पृथक कक्षा नहीं लगावे। उन्हें पास कोर्स के छात्रों के साथ ही अध्ययन कराया जावे।
13. अगर किसी विषय में व्याख्याता अधिशेष हो तो तत्काल सूचित करें।
14. कक्षा/विषय/प्रश्नपत्र से न्यूनतम छात्र संख्या प्रवेश नियमों के अनुसार ही मान्य होगी।
15. किसी विषय में वैकल्पिक प्रश्नपत्र का कार्य भार निदेशालय द्वारा उन प्रश्नपत्र को चातु करने की स्वीकृति पर ही माना जावेगा।
16. राज्य सरकार के आदेशानुसार स्नातक स्तर पर भूगोल विषय में प्रायोगिक कार्य हेतु एक घंटे 40 छात्रों का रखा जावे, जिसे प्रति सप्ताह 4 कालांश अर्थात् दो अलांश दो दिन प्रायोगिक कार्य कराया जावे।
17. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रम का शैक्षणिक कार्यभार अलग से प्रस्तुत करें। इसे शैक्षणिक कार्यभार में सम्मिलित नहीं किया जाता है।
18. स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने वाले प्राध्यापकों की संख्या प्रभारी को सम्मिलित करते हुये कला एवं वाणिज्य संकाय के विषयों में अधिकतम 6 तथा विज्ञान संकाय के विषयों में अधिकतम 8 माना जावे।

नोट:-

स्ववित्तपोषी योजना के अन्तर्गत संचालित विषयों/संकाय/सीटों का शैक्षणिक कार्य भार सम्मिलित नहीं किया जावे।

August 2011

प्रपत्र "अ"

महाविद्यालय का नाम :-

विषय

कक्षा	कक्षा में छात्रों की संख्या	संबंधित विषयों में छात्रों की संख्या	वर्गों की संख्या	पेपरो की संख्या	कुल शैक्षणिक कार्यभार	
					सैद्धान्तिक	प्रयोगिक
1	2	3	4	5	6	7

उक्त विषय के प्राचार्य/उपाचार्य व्याख्याताओं के कुल स्वीकृत पदों की संख्या				कार्यरत अधिकारियों के नाम	वर्तमान स्टाफ द्वारा राज्य सरकार के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार कुल सम्पादित शैक्षणिक कार्यभार
प्राचार्य	उपाचार्य	विभागाध्यक्ष	व्याख्याता		
8	9	10	11	12	13

अतिरिक्त कालांश	अतिरिक्त आवश्यक स्टाफ की संख्या	अधिशेष स्टाफ की संख्या	स्नातकोत्तर स्तर पर पढाये जाने वाले पेपरो के नाम		विभागाध्यक्ष/व्याख्याता का नाम, आवंटित पेपर टाईटल सहित	विशेष विवरण
			पूर्वाद्ध	उत्तराद्ध		
14	15	16	17	18	19	20

प्राचार्य

शैक्षणिक कार्यभार सत्र 2012-13 का विवरण

क्र. सं.	संकाय व विषय	कार्यभार कालांश	कार्यरत व्याख्याताओं द्वारा मानदण्ड के अनुसार सम्पादित कालांश	अतिरिक्त कालांश	मापदण्ड के अनुसार व्याख्याताओं की आवश्यकता	कुल स्वीकृत पद	रिक्त पद	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

कक्षावार (क्लास वाईज) समय सारणी

महाविद्यालय का नाम :-

कक्षा / कालांश	I	II	III	IV	V	VI

कक्षावार (रूम वाईज) समय सारणी

कक्षा / कालांश	I	II	III	IV	V	VI

प्रोचार्य